सी.एस.आई.आर - केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान)

संख्या : 6-20(1)/2017 - टैक्सी **दिनांक : 31.07.2017**

कार्य का नाम - " सीएसआईआर-सीईआरआई, पिलानी में टैक्सी सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध"

सारणी

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	सूची	1
2.	निविदा आमंत्रण सूचना	02
3.	कार्य की प्रकृति, सामान्य नियम और शर्ते	03-07
3.	तकनीकी बोली (Technical Bid) का प्रारूप	08
4.	वित्तीय / मूल्य-बोली (Financial / Price-Bid) का प्रारूप	09

नोट: फर्म निविदा प्रपत्र खरीदते समय उपरोक्त सभी दस्तावेज प्राप्त कर लें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

i)	**निविदा विक्रय की तिथि**	:	**03.08.2017 से 23.08.2017** (पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 04:00 बजे तक)
ii)	**निविदा शुल्क**	:	**₹ 500.00 (अप्रतिदेय)**
iii)	**निविदा जमा करने की तिथि**	:	**24.08.2017 (अपराह्न 01:00 बजे तक)**
iv)	**तकनीकी बोली खोले जाने की तिथि**	:	**24.08.2017 (अपराह्न 04:00 बजे)**

फर्म / निविदादाता / ठेकेदार का नाम : ____________________

निविदादाता का पता : ____________________

बैंक खाता सं. : ____________________

बैंक का नाम तथा आईएफएससी कोड : ____________________

मोबाईल नं. : ____________________

निविदादाता के हस्ताक्षर : ____________________

सी.एस.आई.आर - केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान

पिलानी (राजस्थान)

संख्या : 6-20(1)/2017 - टैक्सी

दिनांक : 31.07.2017

निविदा आमंत्रण सूचना

संस्थान के विभिन्न कार्यों एवं परियोजनाओं के सम्पादन हेतु किराये पर टैक्सियों की आवश्यकता है। ये टैक्सियाँ ठेके पर दो बोली प्रणाली (Two Bid System) के तहत निविदाएँ आमंत्रित करके एक वर्ष-पर्यन्त (अनुमानित लागत 25 लाख लगभग) आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करायी जानी है। टैक्सी सेवाओं में अनुभव और विशेषज्ञता वाली मान्यता प्राप्त फर्म / एजेन्सी / ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स दो बोली प्रणाली (भाग- I: तकनीकी बोली और भाग- II: मूल्य बोली) के तहत इस निविदा प्रक्रिया मे भाग ले सकते हैं। निम्नलिखित योग्यता रखने वाली फर्म/एजेन्सी/ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स इस निविदा प्रपत्र के लिए आवेदन कर सकते है:-

1. फर्म/एजेन्सी/ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स जिनके पास उनकी स्वंय की दो (2) टैक्सियाँ (इन्डिगो/डिजायर/इटिओस/टेवेरा/इनोवा टैक्सियाँ आदि) हो तथा उनका पंजीकरण भी उनके नाम हो ।
2. फर्म को (i) आयकर विभाग से जारी फर्म / एजेंसी का PAN Card (ii) फर्म का पंजीकरण प्रमाण-पत्र (iii) गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) पंजीकरण (iv) वाहनों के पंजीकरण का प्रमाण पत्र आदि (जैस कि Annexure - I में उल्लेख है) निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. सभी टैक्सियाँ (Road worthy in all respects) अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए तथा उनका मॉडल 2016 अथवा उसके बाद का होना चाहिए ।
4. फर्म/एजेन्सी के पास कम से कम 1 वर्ष से अधिक समय का किसी भी सरकारी/ अर्द्धसरकारी कार्यालय में किराये पर टैक्सियाँ उपलब्ध कराये जाने का अनुभव होना चाहिये। इसकी प्रमाणिकता हेतु कार्यादेश की सत्यपित प्रति संलग्न करनी होगी।
5. कार्य संबंधी विवरण व महत्वपूर्ण तिथियों निम्नानुसार है:

i)	निविदा विक्रय की तिथि	:	03.08.2017 से 23.08.2017 (पूर्वाह्न 10:00 से अपराह्न 04:00 बजे तक)
ii)	निविदा शुल्क	:	₹ 500.00 (अप्रितिदेय)
iii)	निविदा जमा करने की तिथि	:	24.08.2017 (अपराह्न 01:00 बजे तक)
iv)	तकनीकी बोली खोले जाने की तिथि	:	24.08.2017 (अपराह्न 04:00 बजे तक)

ई.एम.डी. की राशि ₹50,000/- (पचास हजार मात्र) डी.डी. के रूप में निदेशक, सीरी पिलानी के नाम से देय होगी, और यह तकनीकी बोली (Technical Bid) के साथ संलग्न की जाए। मूल्य बोली (Price Bid) को खोलने की तिथि और समय के बारे योग्य बोलीदाताओं (Qualified Bidders) को पत्र / टेलीफोन/ ई-मेल द्वारा सूचित किया जाएगा। निदेशक, सी.एस.आई.आर. - सीरी के पास किसी एक निविदा अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने या उन्हें आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरिक्षत होगा।

निविदाओं का विस्तृत ब्यौरा सी.एस.आई.आर.- सीरी की वेबसाइट www.ceeri.res.in पर भी देखा जा सकता है, परन्तु डाउन लोड किये हुए टेंडर फार्म स्वीकार नहीं किये जाएगे ।

प्रशासन नियत्रक

सी.एस.आई.आर. - केन्द्रीय इलेक्ट्रनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान,

पिलानी (राजस्थान)

संख्या : 6-20(1)/2017 - टैक्सी   दिनांक : 31.07.2017

संस्थान में परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यों हेतु वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं । कृपया निम्निलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए निविदादाता अपने प्रपत्रों को प्रशासन नियंत्रक के कार्यालय में जमा करा दें ।

(क) योग्यताऐं (तकनिकी बोली हेतु) व चेकलिस्ट

निविदा संबंधी योग्यताऐं अनुलंग्नक - । के अनुसार होगीं तथा केवल योग्य निविदादाताओं (Qualified Bidders) की मूल्य बोली (Price Bid) ही खोली जाएगी। Price Bids को खोले जाने की सूचना योग्य निविदादाताओं को पत्र/टेलीफोन/ई-मेल द्वारा दी जाएगी। उल्लेखनीय है, कि यदि चेकलिस्ट मे वांच्छित शर्त संबंधी दस्तावेज संलग्न नहीं हों, तो वह निविदादाता असफल निविदादाता माना जाएगा और उसकी मूल्य बोली (Price Bid), बिना खोले ही वापस कर दी जाएगी।

(ख) कार्य की प्रकृति, नियम व शर्ते :

1. संस्थान को जब भी वाहनों की आवश्यकता होगी,वाहन (अधिकतम 30 मिनट के अन्दर) उपलब्ध कराना होगा।
2. संस्थान में दो तरह की टैक्सी वाहनों की आवश्यकता होती है। छोटे टैक्सी वाहन जैसे इटिओस/इन्डिगो/डिजायर आदि एवं बडे टैक्सी वाहन जैसे स्कोर्पियो,टेवेरा,इन्नोवा आदि।
3. फ़र्म के मालिक के पास स्वंय की दो टैक्सी वाहन जैसे इन्डिगो/डिजायर/इटिओस/स्कोर्पियो/टेवेरा/इन्नोवा आदि होने चाहिए। वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि अवश्य लगाएँ।
4. पंजीकृत निविदादाता के पास कम से कम 1 वर्ष या अधिक समय का किसी भी सरकारी संस्थान/ अर्द्धसरकारी कार्यालय में किराये पर टैक्सियाँ उपलब्ध कराये जाने का अनुभव होना चाहिये।
5. पंजीकृत निविदादाता इस टेंडर फार्म के साथ संलग्न तालिका **भाग- II: मूल्य बोली (Price Bid) - Annexure II** के दोनों categories में अपने किराये की दरें (प्रति कि.मी.) लिखें।

E-III

6. कार्यादेश मिलने वाले निविदा कर्मी को स्थानीय ड्यूटी के लिए निम्नलिखित शर्तों पर टैक्सी उपलब्ध करानी होगी:-

(क) शून्य से 6 घण्टे तक की यात्रा के लिए अधिकतम 125 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।

(ख) यदि वाहन का उपयोग 6 घण्टे से अधिक समय के लिए होता है, तो अगले प्रत्येक घण्टे का 20 कि.मी. प्रति घण्टे के हिसाब से Running Cost का भुगतान किया जाएगा, उल्लेखनीय है कि लोकल ड्यूटी में भुगतान की अधिकतम सीमा प्रति दिन 250 KM की दर से देय होगी ।

(ग) ठेके का चुनाव करते समय 80% weightage छोटे वाहन को तथा 20% बडे वाहन को दिया जाएगा । L- 1 का निर्धारण 80% व 20% weightage के बाद निम्नानुसार किया जायेगा :-

$$\frac{\text{छोटी टैक्सी के दर X 80}}{100} + \frac{\text{बडी टैक्सी के दर X 20}}{100}$$

7. यह अनुबन्ध एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा, जो आवश्यकता पड़ने पर बढाया जा सकता है। सेवायें ठीक न होने पर निदेशक, सी.एस.आई.आर. - सीरी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा।

8. अनुबंध के अंतर्गत लंबी दूरी के लिए पिलानी से बाहर जाने वाले वाहनों (For outstation taxi) के मामले में न्यूनतम दूरी के लिए 250 KM प्रतिदिन के किराये का भुगतान देय होगा।

(क) 'लोकल' शब्द से पिलानी के अन्दर व पिलानी के आस पास स्थित स्थान जैसे लुहारू, झुन्झूनू, चिडावा, सीकर, राजगढ़, हिसार, भिवानी का अर्थ माना जायेगा।

(ख) 'आउट स्टेशन' शब्द का अर्थ है वह स्टेशन जो लोकल में नहीं आते जैसे दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, पटियाला आदि ।

9. (i) वातानुकूलित वाहनो का किराया सामान्य वाहनो के किराये से एक रूपया 1/-प्रति KM KM अधिक देय होगा।

(ii) Pick and Drop के मामलों में सवारी के बैठे होने की स्थिति में ही A/C का किराया देय होगा अन्यथा खाली वाहन के लिये Non A/C की दरें देय होगी।

(iii) रात्रि ठहराव (Night Stay) के मामले जहाँ A/C गाडी की requirement है, वहाँ तय की गई वास्तविक दूरी का ही A/C किराया देय होगा । इस स्थिति में न्यूनतम माइलेज व वास्तविक तय दूरी के अतंर के लिए Non A/C का किराया देय होगा ।

10. रात्रिकालीन भत्ता (Night charges/Allowance) की राशि ₹ 100/- (एक सौ रूपये मात्र) प्रति रात्रि की दर से देय होगी ।

11. माइलेज (कि.मी.) की गणना रिपोर्टिगं प्वाईट से रिलिविगं प्वाईट तक की होगी, ना की गैराज से गैराज तक।

12. i) फर्म को गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स पंजीकरण (GST Registration) का प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

ii) फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ अनिवार्य रूप से गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स संबंधी रसीद सलग्न करनी होगी तभी इसकी प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

13. सभी टैक्सियाँ (Road worthy in all respects) अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए तथा उनका मॉडल 2016 अथवा उसके बाद का होना चाहिए ।

14. वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे वाहन / वाहन-चालक बीमा, वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेन्स, प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र, रोड -टैक्स इत्यादि पूर्ण होने चाहिए । निविदादाता किसी भी स्थिति मे LPG सिलेंडर युक्त वाहन उपलब्ध नहीं करवाएगें। वाहन संबंधी सभी वैधानिक कागजों को पूरा करने का दायित्व इस संस्थान का नहीं होगा ।

15. कार्यादेश दिये जाने के 15 दिनों के भीतर टैक्सी वाहनों में (Navigation /GPS/Satellite based Tracking System) स्थापित (Install) करना होगा। न्यून्तम दो टैक्सियों में Navigation System स्थापित किया जाना आवश्यक होगा । जिसे Duty Slip के कॉलम में उल्लेख करना होगा ।

16. वाहनों में किसी प्रकार की मरम्मत के व्यय का दायित्व संस्थान का नहीं होगा ।

17. निविदादाता का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार संस्थान का नियमित कर्मचारी / अधिकारी नहीं होना चाहिए तथा निविदादाता किसी भी संस्थान / प्रयोगशाला द्वारा ब्लैकलिस्टेड (blacklisted) नहीं होना चाहिए। इन शर्तों की वचनबद्धता संलग्न करनी होगी।

18. फर्म द्वारा संस्थान को वाणिज्यिक टैक्सी ही प्रदान करनी होगी तथा इनके odometers अच्छी तरह से सील्ड व tamper proof होने चाहिए।

19. वाहन अन्दर-बाहर से साफ सुथरे होने चाहिये, सीटों पर सफेद स्वच्छ कवर लगे होने चाहिए, आवश्यकता पडने पर roof carrier की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

20. वाहन-चालक की वर्दी साफ सुथरी, नामपटिटका युक्त तथा धुली हुई होनी चाहिए और यात्रा noise less होनी चाहिए।

21. वाहन-चालक को यात्रा के दौरान धूम्रपान / मदिरा पान करने की अनुमति नहीं होगी।

22. वाहन-चालक के पास यात्रा से संबंधित टौल टैक्स, पार्किंग, ईंधन व आक्समिक खर्चे हेतु पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए।

23. यात्रा शुरू करने के स्थान पर वाहन निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए, अन्यथा जुर्माने के रूप में ₹ 200/- की कटौती वाहन के यात्रा बिल से की जा सकती है तथा वाहन चालक दी गई ड्यूटी के लिए बाध्य होगा ।

24. वाहन में निष्पादन (performance) तथा अनुरक्षण (Maintenance) संबंधी शिकायत मिलने पर शिकायतों को तुरंत दूर करना होगा।

25. आमतौर पर निविदादाता को यात्रा की समाप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर टैक्सी बिल प्रस्तुत करना होगा। देरी से प्रस्तुत किए बिल के संबंध में कोई शिकायत नही सुनी जाएगी ।

26. स्वीकृत निविदादाताओं को बतौर बयाना राशि (EMD) ₹50,000/-(पचास हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफट(डी.डी) निदेशक,सी.एस.आई.आर.- सीरी पिलानी के नाम से बना कर संग्लन करना होगा ।

27. संस्थान मे शनिवार, रविवार एवम् अन्य त्योहार व अवकाश (24 X 7) के दिनों मे भी वाहनों की आवश्यकता हो सकती है।

28. केवल मुद्रित बिल ही स्वीकार किये जायेगें तथा बिल की (02) दो प्रतियाँ देनी होंगी ।

29. बिल में किलोमीटर का ब्यौरा संस्थान में उपलब्ध प्रारूप Duty Slip के अनुसार देना अनिवार्य होगा । Duty Slip दो प्रतियों में भरनी होगी जिसकी मूल प्रति मैन गेट पर निर्धारित स्थान पर यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद देने होगी । वे Duty Slip जो निर्धारित स्थान पर नहीं दी गई है उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

30. वाणिज्यिक वाहनों के किराए के बिलों का भुगतान बिल प्राप्ति से संभावित 30 दिनों के अन्दर RTGS/NEFT द्वारा किया जाऐगा ।

31. संस्थान द्वारा किसी भी टैक्सी के पंजीकरण / बीमा, जमा किए गए टैक्स आदि की रसीद माँगी जा सकती है ।

32. निविदादाता को विभिन्न प्रकार के वैधानिक नियमों आयकर, सेवाकर, वाणिज्यिक, श्रम नियम आदि प्रावधान का पालन करना होगा । यदि कोई विधान द्वारा संस्थान को इस संबंध में कोई कर अदा करने के लिए सम्मन मिलेगा तो उसकी वसूली निविदादाता के बिलों/धरोहर राशि से की जाएगी व शेष, राशि यदि कोई हो तो, उसका भुगतान करने के लिए निविदादाता कानूनी तौर पर बाध्य होगा ।

33. सामान्यतः गाड़ियाँ दिल्ली/जयपुर जाती हैं, पर इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, गुजरात, उतराचंल आदि भी जा सकती है, जिसके रोड टैक्स (State Tax) की मूल प्रति संलग्न किये जाने पर संस्थान द्वारा भुगतान किया जा सकेगा। यह भुगतान केवल दैनिक आधार पर कटे टैक्सों का ही होगा। वार्षिक/ छमाही/तिमाही/सप्ताहिक आदि के लिये कटे टैक्स का संस्थान भुगतान नहीं करेगी ।

34. पिलानी से बाहर की डयूटी करने पर ड्राइवर के ठहरने की व्यवस्था व अन्य किसी प्रकार के व्यय के लिए संस्थान का कोई दायित्व नहीं होगा तथा वाहन चालको को देय सभी वैधानिक लाभ निविदादाता द्वारा देय होगें।

35. यात्रा के दौरान वाहन के ब्रेक डाउन / खराब हो जाने अथवा अन्य आकस्मिक परिस्थिति आने पर निविदादाता को शेष यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी एवं उस पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करना होगा,

अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर उस यात्रा का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ₹1000/- Penalty दंड शुल्क वसूल किया जायेगा।

36. अनुबंध समाप्त करने व जारी रखने का अधिकार निदेशक सी.एस.आई.आर. - सीरी पिलानी के पास सुरक्षित रहेगा। उल्लेखनीय है कि संतोषप्रद सेवाये प्राप्त होने की स्थिति में निविदा का कार्यकाल विस्तार भी किया जा सकताहै ।

37. सशर्त निविदाएँ (Conditional Tender) स्वीकार नहीं किये जाऐगें । निविदा के किसी भी शर्तो में किसी अन्य शर्त को जोड़ने व हटाने का अधिकार निदेशक सी.एस.आई. आर सीरी के पास सुरक्षित होगा ।

38. कार्यादेश की तिथि को पिलानी में डीजल की प्रभावी दर की कीमतों में रू +/- 5/- प्रति लीटर तक का परिर्वतन होने पर तदनुसार किराये मे परिर्वतन पर विचार किया जाएगा। यह परिवर्तन अगले दिन की तारीख से मान्य होगी । दरों में 18 कि.मी प्रति लीटर माईलेज के हिसाब से किराये की दरों में अनुपातिक परिर्वतन किया जाएगा तथा यह उभय-पक्षीय होंगी।

39. जिस फर्म/एजेन्सी को काम करने का कार्यादेश दिया जायेगा उस फर्म/एजेन्सी का पिलानी में कार्यालय होना आवश्यक होगा ।

40. निविदादाता विशेषत: निविदा के भाग- II: मूल्य बोली (Price Bid - Annexure II) मे अपने दरों के अलावा अन्य किसी शर्त को ना ही जोडेगें, ना धटाऐंगें, ना उल्लेख करेगें, ना ही परिर्वतित करेगें। इसकी अवमानना होने पर मूल्य बोली (Price Bid) रद्द मानी जाएगी।

41. निविदा के हर एक प्रपत्र पर निविदादाता के मुहर सहित हस्ताक्षर होने चाहिए। निविदाओं को खोलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि तक इसे स्वीकृति के लिए वैध माना जाएगा, जिसे पारस्परिक सहमति पर बढ़ाया जा सकता है।

42. न्यूनतम बोली दाता / फर्म (bidder) कार्यादेश दिये जाने के उपरान्त यदि किसी कारणवश सेवाऐं देने में असमर्थ होता है तो यह अनुबंध रद्द माना जाऐगा और उसकी बयाना राशि (EMD) की राशि जब्त कर ली जाएगी और फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है।

43. निदेशक, सी.एस.आई.आर. - सीरी, पिलानी को किसी एक / सभी निविदाओं को अस्वीकार करने तथा किसी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरिक्षत होगा, साथ ही उन्हें बिना कोई कारण बताए न्यूनतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

44. किसी भी रूप में कैनवासिंग निषिद्ध है और निविदा निर्धारण के दौरान यदि कोई निविदादाता कैनवासिंग करता हुआ पाया जाता है, तो उसकी निविदा रद्द की जा सकती है।

45. उपरोक्त में से किसी भी शर्त में छूट देने का अधिकार निदेशक, सी.एस.आई.आर. - सीरी के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रशासन नियत्रक

Annexure-I

TECHNICAL- BID

Check List for Technical Bid 2017-18

S.No	Name of Documents	Remarks (put a √ or X mark, if documents is attached or not attached)	Details of the Documents & page No.
1	Whether EMD Rs. 50,000/- enclosed (No. and Date of issuance of DD)		
2.	PAN Card of the Firm / Agency (copy to be enclosed)		
3.	Year of Registration/Incorporation of the firm (certificate to be enclosed)		
4.	Goods & Service Tax Code No. (certificate to be enclosed)		
5.	Annual turnover of the firm & Income Tax return of the Agency (not individual) for last two financial years 2015-2016 & 2016-2017 (certificate to be enclosed)		
6.	Service Tax paid during Financial year 2015-2016 & 2016-2017 (Proof / certificate to be enclosed)		
7.	No. of year of experience in providing taxi to Govt. /Sem-Govt. Sector (certificate/award letters to be enclosed)		
8.	Name and address of the organizations /offices where firm has provided vehicle for one year on regular basis. (certificate to be enclosed)		
9.	Total Number of Taxi/cars registered with Agency (certificate of RCs of 02 taxis/cars is to be enclosed)		
10.	Whether Blacklisted by any Institution/ Organization (undertaking to be enclosed)		
11.	No Relation certificate (undertaking to be enclosed)		

Certified that all terms and conditions of the CSIR-CEERI are acceptable to us. We are not in any major litigation that may have an impact of affecting or compromising the delivery of the services as required under this tender.

(Signature of the Authorized person of the Firm)

Date: Name

Place: Address with seal

E-11

Annexure-II

PRICE – BID
2017-18

Non A/C Rates per day for Hiring of Taxi at CEERI Pilani (For outstation duty)

S.No	Type of vehicle (Non A/C)	Outstation Charges@ ...... Rs./K.m.
1.	1st Category (Smaller Taxies) i.e. Dezire/Indigo etc.	
2.	2nd Category (Bigger Taxies) i.e. Scorpio/Qualis/Tavera/Innova etc.	

Note : 1. For Air conditioned vehicle extra charges of Rs 1/- per KM would apply, as per item No. 3 of the terms and condition of the tender document.

Note : 2. For outstation, the minimum charges payable would be for 250 K.M. per day.

Place: Name of firm:...................................

Date: Signature:...

Address:..

Phone No...

E-III